संख्या/845/II–2010–03(12)/2010 टी.सी.।

प्रेषक,

आर0सी0 लोहनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड।

सिंचाई अनुभाग देहरादून : दिनांक 18 जून, 2010

विषय :वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए आयोजनागत मदों में ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 1403/मुअवि/बजट/बी–1 सामान्य दिनांक 13.06.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2010–11 में आयोजनागत मद में अनुदान सं0 31 के अन्तर्गत ट्राईबल सब प्लान में जनपद नैनीताल के रामनगर विकास खण्ड में 3 नलकूपों के निर्माण की चालू योजना लागत रू0 195.30 लाख के सापेक्ष शेष धनराशि रू0 45.08 लाख के विरूद्ध रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. उपरोक्तानुसार योजनाओं में योजनावार अवमुक्त की जा रही धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
2. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के बिरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
4. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
6. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
8. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–31 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई 04–नलकूपों का निर्माण 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03–नलकूपों का निर्माण 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के पत्रसंख्या 249/XXVII(1)/2010 दिनांक 04 मई, 2010 एवं नियोजन विभाग के पत्रसंख्या 1407/123/रा0यो0आ0/प्लान/2010 दिनांक 29.04.2010 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर0 सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव

संख्या 1845/II–2010–03(12)/2010 टी.सी.। तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री, सिंचाई को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2 महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3 वित्त अनुभाग–2।
4 समाज कल्याण विभाग, नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
5 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6 अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7 जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
8 निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव